

:- कार्यमुक्त आदेश:-

कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के परिपत्र संख्या: 443 दिनांक 13-01-2016 में दिये गये निर्देश के अनुपालन में विभाग के अलग-अलग जोनों में तैनात नीचे उल्लिखित नाम के पुलिस कर्मियों की वाणिज्य कर विभाग में नियमानुसार (03) तीन वर्ष / (02) दो वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने के पश्चात उनके नाम के सम्मुख कालम-5 में अंकित भिन्न-भिन्न तिथियों में प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने के उपरान्त उनके संबंधित पुलिस विभाग के कार्यालय प्रभारी प्रतिनियुक्ति प्रकोष्ठ मुख्यालय, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के लिए कार्यमुक्त किया जाता है।

क्र 0 सं 0	पुलिस कर्मी का नाम / पदनाम	पुलिस मुख्यालय का आदेश संख्या व दिनांक	(02/03) दो / तीन वर्ष प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने वाली तिथि/गहन जनपद	वाणिज्य कर विभाग में आरक्षी की विगत/वर्तमान तैनाती जोन का नाम
1	2	3	4	5
1	श्री आकाश चौधरी आरक्षी. 252 ना०पु०. PNO.NO. 052150121	डीजी-चार-स्था०(520)- 2016/1444, दि०. 26-09-2016	11-06-2019 गौतमबुद्धनगर	एडी०कमि०ग्रेड-2(वि०अनु०शा०) वा०क० सहारनपुर जोन
2	श्री उदय प्रकाश सिंह आरक्षी. 495 ना०पु०. PNO.NO. 952252306	डीजी-चार-स्था०(450)- 2016/1276, दि०. 02-09-2016	11-06-2019 लखनऊ	एडी०कमि०ग्रेड-2(वि०अनु०शा०) वा०क० कानपुर जोन

संबंधित जोनल एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-2 (वि०अनु०शा०) वाणिज्य कर कृपया उक्त कालम-4 में माह जून -2019 में प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण करने वाले संबंधित पुलिस कर्मियों को समय से कार्यमुक्त करते हुए कार्यालय प्रभारी प्रतिनियुक्ति प्रकोष्ठ, मुख्यालय, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ हेतु अपने जोन से रवाना करना सुनिश्चित करेंगे तथा कृत कार्यवाही की सूचना से अधोहस्ताक्षरी / सर्वसंबंधित को भी अवगत करायेगे। कार्यमुक्त दिवस के पश्चात यदि कार्य लिया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी। माह जून -2019 अथवा इससे पूर्व माहों में यदि आपके जोन से कोई पुलिस कर्मी प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने के उपरान्त प्रतिनियुक्ति प्रकोष्ठ के लिए कार्यमुक्त होने से वंचित रह गया है तो आपका यह दायित्व होगा कि आप उस पुलिस कर्मी को चिन्हित / कार्यमुक्त करते हुए उसके नाम / पदनाम / बैच नम्बर की सूचना से तत्काल अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये।

प्रतिनियुक्ति प्रकोष्ठ के लिए कार्यमुक्त हो चुके संबंधित पुलिस कर्मियों की चरित्र पंजिका / जी०पी०एफ०पास बुक / एल०पी०सी०/अन्य सेवा सम्बंधी अभिलेख आदि को अद्यावधिक कराकर सीधे उनके संबंधित (नवीन तैनाती स्थान) के वरिष्ठ / पुलिस अधीक्षक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे तथा कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत करायेगे।

उपरोक्त पुलिस कर्मियों में से जो आपके जोन से सम्बंधित नहीं हैं तथा अन्य जोन में तैनात हैं, के सम्बंधित तैनाती स्थान के जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि०अनु०शा०) का यह दायित्व होगा कि वह सम्बंधित पुलिस कर्मियों को मुख्यालय द्वारा निर्धारित तिथि से ही कार्यमुक्त करते हुए सर्वसम्बंधित / अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेगे।

(एस०पी० उपाध्याय)


आई०पी०एस०,

एडीशनल कमिश्नर (पुलिस) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्रांक व दिनांक:उक्त ।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1- वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी प्रथम वाणिज्य कर मुख्यालय को कमिश्नर महोदया के अवलोकनार्थ ।
- 2- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि०अनु०शा०) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- 3- पुलिस उपमहानिरीक्षक (कार्मिक) मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
- 4- पुलिस अधीक्षक (प्रशासन) मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
- 5- वरिष्ठ / पुलिस अधीक्षक,जनपद- गौतमबुद्धनगर / लखनऊ ।
- 6- प्रभारी-प्रतिनियुक्ति प्रकोष्ठ मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
- ✓ 7- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई०टी०) वाणिज्य कर मुख्यालय,लखनऊ को वेवसाइड पर तत्काल अपलोड कराने हेतु ।
- 8- कमलेश कुमार मिश्रा क०सहा० को कम्प्यूटर अभिलेखों में दर्ज करने हेतु ।


एडीशनल कमिश्नर (पुलिस) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।